न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर०ए०एस०)

पत्रावली संख्या : 05/2020 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

1. बृजेश कुमार पुत्र मंगलराम जिंदल उम्र 45 वर्ष (मैस व्यवस्थापक एवं विक्रेता) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसायटी, छोकरवाडा रोड, भुसावर जिला भरतपुर निवासी चौखण्डा पाडा, भुसावर जिला भरतपुर।
2. प्रेमचन्द गोयल (संरक्षक सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर।
3. मोहनलाल अग्रवाल (संरक्षक सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर।
4. शान्ती स्वरूप गुप्ता (संरक्षक सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी भारत टैक्स हाउस मॉडल स्कूल के पास भरतपुर।
5. सुरेशचन्द गुप्ता (संरक्षक सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी भारत कृषि यंत्रालय भरतपुर।
6. रमेशचन्द सिंघल (संरक्षक सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी 3/321 जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड भरतपुर।
7. शिवशंकर बंसल (अध्यक्ष) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी पाई बाग भरतपुर।
8. सत्यवृत अग्रवाल (उपाध्यक्ष) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी हीरा मार्केट खेडली।
9. ओमप्रकाश शर्मा (मंत्री) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी डी–153 जवाहर नगर पानी की टंकी के पास भरतपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

10 नवीन चन्द खन्ना (उप मंत्री) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी अपना प्रेस बीनारायण गेट भरतपुर।

11 दीनदयाल सिंघल (कोषाध्यक्ष) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी सुभाष पार्क के पास बुद्ध की हाट भरतपुर।

12 देवकीनन्दन शर्मा (अंकेक्षक) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी हिन्डौन गेट भुसावर।

13 गिर्राजशरण सिंघल (सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी ए–9 रणजीत नगर भरतपुर।

14 श्रीमती ध्रुववती देवी (सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी पुराने पोस्ट ऑफिस के पास भुसावर।

15 हरीशचन्द मित्तल (सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी पुराने पोस्ट ऑफिस के पास भुसावर।

16 अजय कुमार अग्रवाल (सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी मै0 विजय कुमार अजयकुमार वस्त्र विक्रेता भुसावर।

17 अशोक मित्तल (सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी 5/239 अरावली विहार अलवर।

18 सुभाषचन्द मित्तल (सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी विशम्भरदयाल रामस्वरूप सर्राफ भुसावर।

19 महादेव प्रसाद गुप्ता (सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी बी–60 रणजीत नगर भरतपुर।

20 मनोज कुमार मित्तल (सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी आदर्श कालौनी विद्यापीठ रोड भुसावर।

21 प्रमोद कुमार जैन (सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी आर्य समाज रोड विवेकानन्द स्कूल के सामने भरतपुर।

22 बैजनाथ प्रसाद गोयल (सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी ए–102 रणजीत नगर भरतपुर।

23 योगेन्द्र कुमार (सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी 63/16 रजत पथ मानसरोवर जयपुर।

24 ओमप्रकाश सिंघल (सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी सी–125 हरी मार्ग मालवीय नगर जयपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

25 गोविन्द प्रसाद सिंघल (सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी 67/02 से 06 प्रताप नगर गुलाब बिहार जयपुर।

26 अमरचन्द (सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला

भरतपुर निवासी चक्की वाले कानूनगो मौहल्ला भुसावर।

27 सुभाषचन्द गुप्ता (सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी एफ–161 मोहन नगर एस.डी.एम. कोर्ट के पीछे हिन्डौन जिला करौली।

28 श्रीमती राधा बंसल पत्नी शिवशंकर बंसल (सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी पाई बाग भरतपुर।

29 राजेश मीणा (सदस्य) मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरवाडा रोड भुसावर जिला भरतपुर निवासी 37–38 पूजा टाउन गोनेर रोड लूनियावास जयपुर।

30 संजीव सिंह पुत्र एस.बी. कुशवाह (क्यूसी एवं एमडी) मैसर्स भरतपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड डेयरी प्लान्ट मडरपुर भरतपुर निवासी जीएडी वस्ती के बगल में ई–210 श्रीनाथपुरम ईजीनियरिंग कॉलेज कोटा।

31 मैसर्स भरतपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड डेयरी प्लान्ट मडरपुर भरतपुर

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii), 26(2)(v)/51, 52 एवं 58 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. श्री जगराम सिंह चौधरी अभिभाषक अप्रार्थी
3. श्री ओमप्रकाश शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 19.01.2022

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii), 26(2)(v)/51, 52 एवं 58 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 15.06.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 19.01.2022 को गैरसायलान के अभिभाषक उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल के अभिभाषक को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 12.09.2019 को प्रातः

11.00 बजे गैरसायल की प्रतिष्ठान मैसर्स आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरबाडा रोड भुसावर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त प्रतिष्ठान पर मैस में विद्यार्थियों के इस्तेमाल के लिये एक डीप फ्रीज में 500 मिली0 बजनी पैकिंग के 18 मूल सीलड पाउच पैक टोण्ड मिल्क (सरस ताजा) रखे हुये पाये गये। जिनमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/590/एक्ट/2019/603 दिनांक 27.09.2019 द्वारा उक्त टोण्ड मिल्क (सरस ताजा) का नमूना अवमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Substandard & Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Substandard & Misbranded Food) प्रकृति का टोण्ड मिल्क (सरस ताजा) का उपयोग करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii), 26(2)(v)/51, 52 एवं 58 का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर अभिभाषक गैरसायलान संख्या 1 लगायत 29 का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायलान की प्रतिष्ठान आर्य विद्यापीठ सोसाइटी छोकरबाडा रोड भुसावर से टोण्ड मिल्क (सरस ताजा) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जॉच रिपोर्ट में अवमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Sabstandard & Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आर्य विद्यापीठ सोसाइटी भुसावर जो कि वर्ष 1946 से स्थापित महिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठावान संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन आर्य विद्यापीठ सोसायटी के नाम से शैक्षिक उद्देश्य के लिये है तथा भारत वर्ष की प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था है, को जानबूझकर "मैसर्स" शब्द उसके आगे अंकित कर व्यापारिक फर्म के रूप में दर्शित करते हुये उसके संरक्षक, पदाधिकारी व सदस्यों को अभियुक्त बनाते हुये अभियोग पत्र दाखिल किया गया है। जबकि आर्य विद्यापीठ सोसायटी ना तो कोई मैसर्स (व्यापारिक फर्म) है और ना ही किसी नमूना माल की विक्रेता है। अतः अभियुक्त संख्या 1 लगायत 29 को कतई गलत तरीके से अभियुक्त दर्शाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

आर्य विद्यापीठ सोसायटी तो मात्र सद्भावी क्रेता व ग्राहक है। संस्था में शिक्षणरत व हॉस्टल में रह रही छात्राओं हेतु दूध विक्रय के लिये नहीं अपितु चाय दूध आदि की आवश्यकता पूर्ति के लिये लिया जाता है। व्यक्तिशः वितरण व विक्री नहीं की जाती है। अभियोगी का कहना है कि संस्था के मैस में विद्यार्थियों को खाद्य सामग्री बनाकर पूर्व भुगतान प्राप्त कर खिलाई पिलाई जाती है जो एकदम गलत तथ्य है। संस्था में पूर्व भुगतान नहीं लिया जाता बोर्डिंग लोजिंग हेतु किश्तो में शुल्क लिया जाता है जिसका आधार लाभ कमाना या विक्रय नहीं है। कई वर्षो 2019–20, 2020–21 में तो यह खर्च स्वयं संस्था को ही भुगतना पडा है। संस्था द्वारा छात्राओं की भोजन व्यवस्था को हानि वहन करते हुये भी चलाया गया है इससे स्पष्ट है कि किसी लाभ के उद्देश्य के लिये मैस का संचालन नहीं किया जाता है। संस्था द्वारा अपने यहां उपलब्ध माल की सद्भावित खरीद के सम्बन्ध में इनवाइस आदि उपलब्ध कराये गये है जिससे प्रथम दृष्टिया यह स्पष्ट है कि संस्था द्वारा अभियुक्त संख्या 30–31 द्वारा उत्पादित पैक्ड सील्ड माल को क्रय किया गया था तथा अभियुक्त संख्या 1 लगायत 29 का उकत नमूना लिये गये माल के सम्बन्ध में किसी प्रकार उत्पादनकर्ता, निर्माता, पैकिंगकर्ता के रूप में कोई भूमिका नहीं रही है और ना ही किसी प्रकार से अपमिश्रण आदि किये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न होता है। अभियुक्त संख्या 1 लगायत 29 विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत सदभाविक क्रेता के प्रति कोई अपराध कारित नहीं होता है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायलान संख्या 31 के अभिभाषक का कथन है कि दूध के नमूने लिये है वे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं लिये गये है। नियमानुसार नमूने नहीं लिये जाने के कारण दूध का सैम्पल जांच में स्वतः ही अवमानक सब स्टैण्डर्ड की श्रेणी में आ जायेगा। डीप फ्रिज (जिसका तापमान आमतौर पर जमाव बिन्दु से कम रहता है) में 500 एम.एल. पैकिंग में सील्ड टोंड मिल्क पाउच रखे हुये थे। उसमे मौजूद दूध भी जमाव बिन्दु के करीब था एवं उक्त 500 एम.एल. के 4 पोली पैक पाउच को विक्रेता के यहां से डीप फ्रीज से निकाल कर बिना पोली पैक को हिलाये/निर्धारित तापमान पर लाये बगैर ही कांच की बोतल में भरे गये। डीप फ्रीज में रखे पाउच में दूध की वसा दूध से अलग होकर थैली में चिपक जाती है जो कि

सामान्य तापमान में रखकर कुछ समय बाद हिलाने पर ही दोबारा पिघल कर दूध में मिलती है। बिना हिलाये/सही तापमान पर लाये इस तरह से थैली से दूध निकालने पर कम वसा का दूध ही बाहर आता है और अधिक वसा की क्रीम थैली में ही चिपक के रह जाती है यह बात पैक्ड दूध/पोलीपैक के दूध का इस्तेमाल करने वाले समस्त उपभोक्ता जानते है। सही प्रकिया नहीं अपनाने पर दूध में वसा कम आना स्वतः स्वाभाविक है। सैपल लेने की सम्पूर्ण एवं सही जानकारी भारत सरकार के फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डस अथोरिटी ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के मेनुयल नम्बर 1 में एनालिसिस आफ मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट के पेज नम्बर 7 में पैरा 1 में दी गई है। उक्त वर्णित तथ्यों को यदि माना जावे तो सैपल की प्रकिया पूर्ण रूप से दूषित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान के अभिभाषक के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 12.09.2019 को प्रातः 10.00 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायलान की प्रतिष्ठान के मैस में छात्राओं के उपयोग हेतु टोण्ड मिल्क (सरस ताजा) करीब 18 सील्ड पाउच 500 मिली0 वजनी पैक के रखे हुये पाये गये। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/590/एक्ट/2019/603 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा उक्त टोण्ड मिल्क (सरस ताजा का नमूना अवमानक एवं खाद्य पदार्थ (Sabstandard & Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार Milk Fat का मानक Minimum 8.50% होना चाहिये था परन्तु इसका मानक 02.60% पाया गया है जो निर्धारित मानक से कम है। अभिभाषक गैरसायलान 1 लगायत 29 का कहना कि आर्य विद्यापीठ सोसायटी एक शैक्षणिक संस्था जो छात्राओं को अध्ययन कराती है और मैस में खाने पीने की व्यवस्था कराती है। संस्थान के द्वारा उक्त टोण्ड मिल्क (सरस जाता) को गैरसायालान संख्या 30–31 से कय किया है न कि निर्माण किया है। गैरसायलान संख्या 1 लगायत 29 के द्वारा दूध कय किया है इसलिये यह संस्थान दोषी नहीं रहती है। अभिभाषक गैरसायलान संख्या 31 का कहना है कि सैम्पल जो लिया गया है वह गलत तरीके से लिया गया है इसलिये सैम्पल सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड पाया गया है। अभिभाषक गैरसायलान संख्या 31 के द्वारा नमूना मिसब्राण्ड के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिये

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

गैरसायलान संख्या 31 की अनियमिता आके मानते हुये भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी दी जाकर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत गैरसायलान संख्या 31 के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 1000/—रूपये (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायलान संख्या 31 अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर